

CICOM/R/E/23/00193

विंदु सं. 1, 2 एवं 3 – वांचित सूचना हेतु सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (RTI Act, 2005) एवं सूचना का अधिकार नियम, 2012 (RTI Rules, 2012) जो कि आयोग की वेबसाईट के लिंक क्रमशः <https://cic.gov.in/sites/default/files/rti-actinhindi.pdf> एवं <https://cic.gov.in/sites/default/files/RTI/RTIRules2012.pdf> सहित पब्लिक डोमेन (इंटरनेट) में आसानी से उपलब्ध है, का अवलोकन करें। इसके अतिरिक्त अन्य कोई सूचना उपलब्ध नहीं है।

यदि आप उपरोक्त सूचना से संतुष्ट नहीं हैं तो इस सूचना की प्राप्ति के 30 दिनों के अंदर प्रथम अपील श्री अजितकुमार बसंतराव सोनटक्के, प्रथम अपीलीय अधिकारी, केन्द्रीय सूचना आयोग, वावा गंगनाथ मार्ग, मुनिरका, नई दिल्ली - 110067 को की जा सकती है।

(सुबोध कुमार)

केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी,  
आर.टी.आई.सेल  
दूरभाष - 011-26172690